ग्राम पंचायत पद्दर, विकास खण्ड धर्मशाला जिला काँगड़ा, हि॰ प्र॰ –176052 के अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–एक

1. **प्रस्तावना**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत पद्दर, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा हि0 प्र0 के अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–

प्रधानः–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्रीमती इन्दू रानी	01.04.2023 से 31.03.2024

सचिव :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री संतोष कुमार	01.04.2023 से 31.12.2023
2	श्री अमित कुमार	01.01.2024 से 31.03.2024

तकनीकी सहायक :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री ओंकार दत्त	01.04.2023 से 31.03.2024

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री गोपाल कृष्ण	01.04.2023 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः—

ग्राम पंचायत पद्दर के अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र0 सं0	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4(ग)	रोकड़ बही व बैंक के अन्त शेषों में अन्तर पाया जाना	0.90
2	5.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	34.24
3	6.1	सम्पत्तिकर/गृहकर का वसूली हेतु शेष पाया जाना	1.22
4	6.2	दुकानों के किराये की बकाया राशि की वसूली शेष होना	1.37
5	7.1	विवाह पंजीकरण शुल्क वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.02
6	7.2	विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त की गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.04
7	8.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक का क्रय करना	0.28
8	8.2	क्रय किये गये सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत दर्ज न करना	1.25
9	9	अग्रिम राशि का समायोजन हेतु शेष पाया जाना	0.82
10	10	माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना	9.15

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः—

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत पद्दर का गत अंकेक्षण अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 व 01/04/2021 से 31/03/2023 के लिये किया गया था, जिसके शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित हैः—

(1) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 तक

क्र0 सं0	पैरा सं0	निर्णीत/ अनिर्णीत	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1.	3	निर्णीत	माँग व प्राप्ति रजिस्टर पृष्ठ संख्या 201 में पुष्टि उपरान्त

2.	5	अनिर्णीत	—
3.	6	अनिर्णीत	—
4.	7	अनिर्णीत	—
5.	8	अनिर्णीत	—
6.	9	अनिर्णीत	—
7.	10	अनिर्णीत	—
8.	11	अनिर्णीत	—
9.	12	अनिर्णीत	—

(2) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 तक

क्र0 सं0	पैरा सं0	निर्णीत/ अनिर्णीत	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1.	3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क प्राप्ति की पुष्टि उपरान्त
2.	(4)(4.1)	अनिर्णीत	—
3.	4.2	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित कर दिया गया है।
4.	4.3	अनिर्णीत	—
5.	4.4	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित कर दिया गया है।
6.	5	अनिर्णीत	—
7.	6	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित कर दिया गया है।
8.	7(क)(ख)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित कर दिया गया है।
9.	7(ग)	अनिर्णीत	—
10.	8.1,8.2	अनिर्णीत	—
11.	9(क)(ख)	अनिर्णीत	—
12.	10	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित कर दिया गया है।
13.	11	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित कर दिया गया

			है।
14.	12	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित कर दिया गया है।

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत पद्दर के अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 08.10.2024 से 21.10.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में प्रस्तुत की गई ऑनलाईन रोकड़ बहियों के आधार पर किया गया। आय–व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गयाः–

वर्ष	आय	व्यय
2023–24	03/2024	03/2024

<u>अस्वीकरण (Disclaimer)</u> :–वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4000/– आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का./2024/494 दिनांक–21.10.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया।

4.1 (क).वित्तीय स्थितिः–

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः– राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ.वृ.का./2024/469 दिनांकः–08.10.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में दिया गया हैः–

1.स्वः—स्त्रोतः—

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4—5)
1	2	3	4	5	6
2023-24	901338.82	1307945.00	2209283.82	462591.00	1746692.82

2.अनुदानः—

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4—5)
1	2	3	4	5	6
2023-24	3394902.70	5120287.00	8515189.70	5091510.00	3423679.70

कुल योग (1+2) 1746692.82+3423679.70 **=5170372.52**

(ख) बैंक समाधान विवरणीः—

दिनांक 31.03.2024 को ग्राम पंचायत की ऑनलाईन रोकड़ बहियों/वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष ₹51,70,372.52/- तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि "**परिशिष्ट—3**" के अनुसार अन्तशेष ₹52,60,628.87/—से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार हैः—

	बैंक खातों की विवरणीः—			
क्र0 सं0	विवरण	बैंक	खाता	अन्त शेष (₹)
1	स्वःस्त्रोत/5वां वित/एस.डी.आर.एफ	का•के•सह•बैंक चामुण्डा	20012007980	1755443.17
2	एम.एम.ए.जी.वाई	सी•बी•आई•चामुण्डा	3662089134	6546.70
3	13वाँ वित्त	एच•डी•एफ•सी•बैंक नगरोटा बगवां	50100028213337	184215
4	14वाँ वित्त	का•के•सह•बैंक चामुण्डा	50068305616	0
5	14वाँ वित्त	आई•डी.•बी.आई.बैंक धर्मशाला	11106104000045368	0
6	15वाँ वित्त/पी.एस/	सी•बी•आई•चामुण्डा	3849752885	3313920

	जेड.पी			
	हस्तगत शेष			504
बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का कुल योगः–				₹5260628.87
दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :–				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति (पैरा 4) के अनुसार अन्तशेषः–				₹5170352.72
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेषः–				₹5260628.87
अन्तरः–				₹90276.15

नोटः– अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना।

(ग) रोकड़ बही एवं बैंक खातो के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के कारण राशि ₹0.90/– लाख का बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना :–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत पद्दर द्वारा हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.03.2024 को ऑनलाईन रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹90276.15 का अन्तर बैंक में अधिक शेष के रूप में था। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा–4 में दिया गया है। उक्त अनियमितता से संबंधित आपत्ति को गत अंकेक्षण में भी विभाग द्वारा उठाया गया था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, जोकि स्वतः आपत्तिजनक है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/479 दिनांकः–09.10.2024 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–24 दिनांकः–21.10.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अन्तर का मिलान कर दिया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर नियमानुसार न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अन्तर के कारणों बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए वर्तमान में अन्तर का शीघ्रातिशीघ्र समाधान कर कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

(घ) स्कीम वाईज खाते न खोलने बारेः–

निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच–एच.ए (5) सी (15) –(13) (एल) 5–47005–81 दिनांक–15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है।

ग्राम पंचायत पद्दर के बैंक खातों के अंकेक्षण में पाया गया कि, ग्राम पंचायत द्वारा बैंक खाते स्कीम वाईज नहीं खोले गये थे। अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार स्वः स्त्रोत, 5वां वित, एस.डी.आर.एफ व 15वां वित्तायोग, पी0एस0 तथा जैड0पी0 आदि शीर्षों के अन्तर्गत नियमों एवं निर्देशों के विरूद्ध क्रमशः संयुक्त खाता संख्या 20012007980 व 3849752885 खोला गया था, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाते हैं। जोकि नियमों के विपरीत है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अंकेक्षण विभाग द्वारा बार–बार एक ही तरह की आपत्ति को उठाया जाना तथा ग्राम पंचायत द्वारा उसकी एवज में कोई ठोस कार्रवाई अमल में ना लाना ,ग्राम पंचायत की अंकेक्षण के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/493 दिनांकः–21.10.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या– 24 दिनांकः–21.10.2024 द्वारा दिया गया उत्तर कि स्कीम वाईज खातों का अनुसंधारण कर दिया जायेगा, प्रस्तुत उत्तर नियमानुसार न होने एवं तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः नियमानुसार रोकड़ बही का रख–रखाव न करने तथा स्कीम वाईज खातों का संचालन न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार व समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों अनुसार ही रोकड़ बही एवं स्कीमवार बैंक खातों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(ङ.) लेखा खाता/खाताबही तैयार न करना :–

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29(1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप–7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 2023–24 की खाताबही/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। उक्त अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान चयनित मास के व्यय वाउचरों से इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि निम्न तालिका में दर्शाए गए कार्यों हेतु कितनी–कितनी राशि प्राप्त हुई व कितना व्यय हुआ है तथा निम्न कार्यों को पूरा किया जा चुका है अथवा नहीं। इस अनियमितता से सम्बन्धित आपत्ति को भी गत अंकेक्षण में विभाग द्वारा पैरा संख्या 4.4 के अंतर्गत उठाया गया था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाई गईः–

क्र0 सं0	अनुदान	वाउचर सं0/ दिनांक	बिल सं0मस्ट्रोल सं0/दिनांक	कार्य का नाम	राशि (₹)
1	15वां वित	05/21.03.2024	मस्ट्रोल सं–003354	निर्माण नाली, लिंक रोड जीत कुमार और देवल के घर की ओर वार्ड–2	16118
2	मनरेगा	निल/05.03.2024,18.03.24.27.03.24	8252,8253,8739,8740,8741,9392,9393	निर्माण खेल मैदान गांव घिरथोली चरण एक वार्ड–6	75170
3	मनरेगा	निल/05.03.2024,18.03.2024,27.03.202	8257,8258, 8259,8734,8735,9396,9397	कूल्ह की खुदाई ढली कूल्ह से गगली की ओर वार्ड–5	82708
4	मनरेगा	निल/05.03.2024,18.03.24,27.03.24	8313,8314,8319,8729,9398	कूल्ह की खुदाई वाटर टैंक से विनोद कुमार की जमीन की ओर वार्ड–2	47885
5	मनरेगा	निल/05.03.24/	8310–8312,8707–8709,8811,9402,940,9571	निर्माण कच्चा रास्ता लिंक रोड से प्रीतम की जमीन की ओर वार्ड–7	108594

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा स्वः स्त्रोत व अनुदानों से प्राप्त की गई आय की भी लेखा खाता/खाता बही के अभाव में वास्तविक प्राप्तियों की अंकेक्षण में सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी, जोकि अनियमित तथा आपत्तिजनक है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः– राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/493 दिनांकः–21.10.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–24 दिनांकः–21.10.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त अवधि की खाताबहियों/लेखा खातों को तैयार करने उपरान्त अगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियमानुसार न होने एवं तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः उक्त अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत अंकेक्षण अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाताबही/लेखा खाते तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जाये व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5.1 अनुदान की राशि ₹34.24/– लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/469 दिनांकः–08.10.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जो कि **परिशिष्ट–1 व परिशिष्ट–2** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31–03–2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹34,23,679.70/– की राशि उपयोग हेतु शेष थीः–

क्र0सं0	अनुदान का नाम	दिनांक	राशि (₹)
1	एम.एम.ए.जी.वाई	31.03.2024	6546.70
2	13वाँ वित्त	31.03.2024	180258.00
3	14वाँ वित्त	31.03.2024	-27045.00
4	15वाँ वित्त/पी.एस/जेड.पी	31.03.2024	3263920.00
		कुल जोड़	**3423679.70**

उपरोक्त तथ्य एवं आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षों के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यो का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

इस शेष राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/480 दिनांक–09.10.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या–24 दिनांकः–21.10.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि शेष अनुदान राशि को आगामी समय में व्यय कर लिया जायेगा।

अतः शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के उचित कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

5.2 अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव न करना:–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 61(1) के अंतर्गत उल्लेखित फार्म 21 के अनुसार अनुदान रजिस्टर का संधारण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव नहीं किया गया था जिसके अभाव में प्रस्तुत अनुदानों की वित्तीय स्थिति का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका।

अतः भविष्य में नियमों के अनुसार रजिस्टर तैयार एवं अद्यतन (Update) करके समस्त प्राप्त अनुदान व अनुदान राशि से किये गये व्यय का लेखांकन अनुदान रजिस्टर में करने उपरांत अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

5.3 14वें वितायोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान से राशि ₹0.27 लाख का अधिक व्यय करना :–

अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट 2** के अनुसार, दिनांक 31.03.2024 तक निम्न तालिका में दर्शाए शीर्ष 14वां वित के अंतर्गत प्राप्त अनुदान की अपेक्षा ₹27045 का अधिक व्यय किया गया दर्शाया गया था,जोकि एक गम्भीर वितीय अनियमितता है:–

क्र0सं0	अनुदान	खाता संख्या	अधिक व्यय
1.	14वां वित	50068305616	27045
		11106104000045368	

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/493 दिनांकः–21.10.2024 द्वारा आग्रह किया गया,जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या– 24 दिनांकः–21.10.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त अधिक किये गए व्यय से संबंधित ब्यौरा आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा, प्रस्तुत उत्तर नियमानुसार न होने एवं तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः उपरोक्त अनुदान के अंतर्गत किये गये अधिक व्यय बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके संबंधित खाते में जमा करना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

पंचायत राजस्व से प्राप्त आयः—

6.1 सम्पति कर/गृहकर की ₹1.22 लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जानाः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय/अदत(Outstanding) नहीं रखी जाएगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/469 दिनांकः—08.10.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "4"** पर संलग्न सूचना के अनुसार सम्पत्तिकर/गृहकर के रूप में **₹122400/—** की राशि दिनांक 31.03.2024 को वसूली हेतु शेष थी। क्योंकि अवधि 2023—24 के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी राशि की प्राप्ति नहीं की गई थी, जोकि ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त नियम की पूर्णतः अवहेलना की गई है। सम्पत्तिकर/गृहकर की इतनी अधिक राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना यह स्पष्ट करता है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गंभीर नहीं है। परिणामस्वरूप सम्पत्ति कर/गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत के सम्पत्ति कर/गृहकर का मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर को भी तैयार नहीं किया गया था, जिसके अभाव में **परिशिष्ट "4"** पर दर्शाए गए दिनांक 31.03.2024 को सम्पत्ति कर/गृहकर के रूप में वसूली हेतु शेष राशि की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/481 दिनांकः—09.10.2024 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—24 दिनांकः—21.10.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि सम्पति कर/गृहकर की बकाया राशि की वसूली करने उपरान्त सभा निधि में जमा करवा दिया जाएगा तथा सम्पत्ति कर/गृहकर मांग व प्राप्ति रजिस्टर का भी संधारण कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को भी अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की अविलम्ब वसूली करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में भी इसकी वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष की जानी सुनिश्चित की जाए।

दुकानों के किराये से आयः—

6.2 दुकानों के किराये की बकाया राशि ₹1.37/- लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय/अदत(Outstanding)नहीं रखी जाएगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा/अ0वृ0कां/2024/471 दिनांकः—08.10.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "5"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार **दिनांक 31.03.2024 तक दुकानों के किराये की राशि ₹137130/— वसूली हेतु शेष थी।** इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा दुकान किराया मांग व प्राप्ति रजिस्टर का न तो वार्षिक आधार पर और न ही माहवार अनुरक्षण किया गया था, जिसके अभाव में **दिनांक 31.03.2024 को** दुकान किराया वसूली हेतु शेष की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत द्वारा इस किराये की वसूली हेतु कोई ठोस कार्रवाई भी अमल में नहीं लाई गई थी, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित वसूली हेतु गम्भीर नहीं है। यदि पंचायत राजस्व बकाया इसी तरह बढ़ता रहा तो एक समय पर इसे वसूल कर पाना असम्भव हो सकता है।

अतः बकाया पंचायत राजस्व की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार कारगर कदम उठाये जायें एवं तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाना सुनिश्चित करें।

6.3 8 दुकानों के किरायेदारों के साथ किराया अनुबन्ध न करनाः—

ग्राम पंचायतों के व्यावसायिक परिसरों/भवनों को किराये पर देने हेतु निदेशक एवं विशेष सचिव पंचायती राज विभाग हि0प्र0 के कार्यालय आदेश संख्या पीसीएच—एच सी (7) 10/80 दिनांक 17.09.2008 तथा 26.08.2022 के अन्तर्गत जारी निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जानी अपेक्षित है। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा/अ0वृ0कां/2024/471 दिनांकः—08.10.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "6"** व पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र क्रमाँक 24 दिनाँक 21.10.2024 द्वारा अँकेक्षण के दौरान सूचित किया कि पँचायत द्वारा उक्त 8 दुकानों को किराये पर देते समय किरायेदारों के साथ किसी प्रकार का अनुबन्ध हस्ताक्षरित नहीं किया गया था फलस्वरूप भविष्य में पंचायत को किसी प्रकार की वैधानिक कठिनाई से अंकेक्षण में इनकार नहीं किया जा सकता है। यह बहुत ही गम्भीर अनियमितता है

तथा इसके अभाव में यदि भविष्य में पँचायत को कोई वित्तीय हानि होती है तो यह चूककर्ताओं का व्यक्तिगत दायित्व होगा।

उपरोक्त अनियमितताओं के बारे में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/482 दिनांकः 10.10.2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में पँचायत सचिव के कार्यालय पत्र क्रमाँक 24 दिनाँक 21.10.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि बकाया दुकान किराया राशि की वसूली कर ली जायेगी तथा वसूली उपरान्त इसे सभा निधि में जमा करवा दिया जएगा व इसके मांग व संग्रहण से संबंधित रजिस्टर का अनुसंधारण भी कर लिया जाएगा तथा 8 दुकानों के किरायेदारों के साथ अनुबन्ध नहीं किये गए है, उक्त अनियमितता को भी पुरा कर लिया जायेगा। प्रस्तुत स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः सुझाव दिया जाता है कि पंचायत हितों को सुरक्षित करने के लिये समय–2 पर जारी आदेशों/निर्देशों अनुसार अपेक्षित कदम यथाशीघ्र उठाया जाना सुनिश्चित करके किरायेदारों के साथ नियमानुसार अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जाये ताकि भविष्य में किराया वसूली में किसी भी प्रकार की दिक्कत न आये जिसकी अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

7.1 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹0.02/- लाख की वसूली हेतु शेष पाया जाना :–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अनुसार विवाह के पंजीकरण हेतु ₹200 (सामान्य श्रेणी) व आई.आर.डी.पी/बी.पी.एल. श्रेणी के लिये ₹25 पंजीकरण शुल्क व 30 दिनों के बाद व 90 दिनों के भीतर ₹400(सामान्य श्रेणी) से व ₹50 आई.आर.डी.पी/बी.पी.एल श्रेणी से प्रति विवाह पंजीकरण शुल्क प्राप्त करके सरकारी कोष में जमा करवाना अपेक्षित है।

विवाह पंजीकरण शुल्क रजिस्टर के नमूना अंकेक्षण तथा पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट "7"** पर संलग्न सूचना के अनुसार 05 विवाह पंजीकृत किये गये थे,जिस हेतु ₹200/400 की दर से कोई राशि नहीं वसूली गई थी, जबकि उक्त वर्णित दरों के अनुसार ₹1800 प्राप्त किये जाने अपेक्षित थे।

उक्त न वसूली गई राशि का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/481 दिनांकः–09.10.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत पद्दर के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र क्रमाँक 24 दिनाँक 21.10.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि बकाया विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली कर ली जायेगी तथा वसूली उपरान्त इसे सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की अविलम्ब वसूली करना सुनिश्चित करके शीघ्र

अति शीघ्र सरकारी कोष जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.2 विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त की गई राशि ₹0.04/– लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारेः–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांकः– 04.10.2016 के अंतर्गत विवाह रजिस्ट्रेशन शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त करने के उपरान्त विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0070–60–108–01" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/469 दिनांकः–08.10.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "7"** पर संलग्न सूचना व निम्न तालिका के अनुसार ग्राम पंचायत पद्दर द्वारा वर्ष 2023–24 के दौरान ₹3600 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई, परन्तु उसे सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया थाः–

क्र0सं0	**वित्तीय स्थिति**	**विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि**
1	2023–24	3600

उक्त विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/481 दिनांकः–09.10.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत पद्दर के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या–24 दिनांकः–21.10.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि सरकारी कोष में जमा करवा दी जाएगी।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8.1 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹0.28/— लाख के स्टॉक का क्रय करना:—

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा किये जाने वाले व्यय से सम्बन्धित आपूर्ति आदेश, निविदा आदि औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

ग्राम पंचायत पद्दर के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट "8"** के अनुसार ₹27500/— का व्यय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उक्त व्यय करते समय बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया गया था।

उपरोक्त अनियमितत्ता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/485 दिनांकः—11.10.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—24 दिनांकः—21.10.2024 द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में औपचारिकताओं को पूर्ण करके ही सामान क्रय किया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर नियमानुकूल न होने व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8.2 क्रय किये गये सामान राशि ₹1.25/— लाख का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होना:—

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी.) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25,26,27 व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत पद्दर के अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट—"8"** पर संकलित राशि ₹1,24,885/— के स्टॉक को क्रय उपरान्त स्टाक रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया था जिससे क्रय हेतु कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सका एवं किसी वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/486 दिनांकः—11.10.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—24 दिनांकः—21.10.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि सामग्री का स्टाक रजिस्टर में इन्द्राज कर लिया जायेगा । प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः क्रय किये गये प्रत्येक सामान का पारदर्शी इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9 अग्रिम भुगतान राशि ₹0.82/— लाख का समायोजन हेतु शेष पाया जानाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 30 के अनुसार पंचायत द्वारा फॉर्म—9 में अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर तैयार करने उपरान्त किये गए अग्रिमों का वित्तीय वर्ष के अन्त में समायोजन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कॉर्पोरेशन को सीमेंट के क्रय हेतु निम्न विवरणानुसार राशि ₹81603/— का अग्रिम प्रदान किया गया था, लेकिन 31.03.2024 तक उक्त राशि का समायोजन नहीं किया गया था, जोकि उपरोक्त नियम प्रावधान के प्रतिकूल होने के कारण आपत्तिजनक हैः—

क्र0सं0	अनुदान	वाउचर/दिनांक/बिल संख्या	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	मात्रा	दर	राशि
1	मनरेगा	निल/01.03.2024/43593	मै0 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन खनियारा	सीमेंट बैग	—	—	67
2	मनरेगा	निल/01.03.2024/375010, 375048	मै0 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन खनियारा	सीमेंट बैग	—	—	248
3	मनरेगा	निल/01.03.2024/43871	मै0 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन खनियारा	सीमेंट बैग	200	402.29	80458
4	मनरेगा	निल/01.03.2024/43872	मै0 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन खनियारा	सीमेंट बैग	—	—	361

5	मनरेगा	निल / 01.03. 2024 / 375046	मै0 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन खनियारा	सीमेंट बैग	–	–	141
6	मनरेगा	निल / 01.03. 2024 / 375047	मै0 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन खनियारा	सीमेंट बैग	–	–	7
7	मनरेगा	निल / 01.03. 2024 / 375041	मै0 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन खनियारा	सीमेंट बैग	–	–	321
						कुल जोड	**81603**

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2024 / 483 दिनांकः–10.10.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–24 दिनांकः– 21.10.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि हि0प्र0 सिविल सप्लाई को सीमेंट खरीदने हेतु किये गये अग्रिम भुगतान राशि के समायोजन से संबंधित अभिलेख को तैयार करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा तथा उक्त राशि बारे सिविल सप्लाई खनियारा से पत्राचार करने उपरान्त इसका समायोजन कर लिया जाएगा।

अतः मै0 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कॉर्पोरेशन को की गई अग्रिम भुगतान राशि का समायोजन करना सुनिश्चित करके नियमानुसार अग्रिम समायोजन रजिस्टर को भी तैयार करना सुनिश्चित किया जाये व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 राशि ₹9.15/–लाख के निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारेः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान चयनित मास 03 / 2024 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न तालिका के अनुसार राशि ₹9,14,615 /– के निमार्ण कार्यों की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे किये गये व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सकाः–

क्र0सं0 व अनुदान	वाउचर सं / दिनांक / बिल संख्या, मस्ट्रोल.सं0	मास	कार्य का नाम	भुगतान राशि (₹)	वांछित अभिलेख
1.मनरेगा	निल / 05.03.2024,18.03.24. 27.03. 24 / 8252,8253,8739,8740,	03 / 2024	निर्माण खेल मैदान गांव घिरथोली चरण	75170	माप पुस्तिका

	8741,9392,9393		एक वार्ड–6		
2.मनरेगा	निल / 18.03.2024,27.03. 2024 / 8738,9394	03 / 2024	पौधारोपण कार्य सतीश कुमार की जमीन में वार्ड–6	17123	माप पुस्तिका
3.मनरेगा	निल / 05.03.2024,27.03. 2024 / 8308,8395,155,2544	03 / 2024	निर्माण क्रेट वर्क भाघन खड पास घेप लिया राम करतार चन्द व स्वर्णा देवी की जमीन वार्ड–3	47377	माप पुस्तिका
4.मनरेगा	निल / 05.03.2024,18.03. 2024,27.03. 2024 / 8257,8258,8259,873 4,8735,9396,9397	03 / 2024	कूल्ह की खुदाई ढली कूल्ह से गगली की ओर वार्ड–5	82708	माप पुस्तिका
5.मनरेगा	निल / 05.03.2024,18.03. 24,27.03. 24 / 8313,8314,8319,8729, 9398	03 / 2024	कूल्ह की खुदाई वाटर टैंक से विनोद कुमार की जमीन की ओर वार्ड–2	47885	माप पुस्तिका
6.मनरेगा	निल / 05.03. 2024 / 8255,8256	03 / 2024	कूल्ह की खुदाई इक्कू खड से घेपलिया राम की जमीन की ओर वार्ड–2	32120	माप पुस्तिका
7.मनरेगा	निल / 18.03. 2024 / 8711,8712	03 / 2024	कूल्ह की खुदाई बडोई से प्रकाश चन्द की जमीन की ओर वार्ड–1	25625	माप पुस्तिका
8.मनरेगा	निल / 05.03. 2024 / 8268,8269	03 / 2024	कूल्ह की खुदाई ध्रुव की जमीन से नन्द किशोर की जमीन की ओर वार्ड–2	26840	माप पुस्तिका
9.मनरेगा	निल / 05.03.24,27.03. 2024 / 8294,9399	03 / 2024	औषधीय पौधारोपण अनुराधा की जमीन वार्ड–6	7632	माप पुस्तिका
10.मनरेगा	निल / 05.03.24 / 8724	03 / 2024	औषधीय पौधरोपण रानी देवी की जमीन	5936	माप पुस्तिका

			वार्ड–7		
11.मनरेगा	निल / 05.03.24,27.03.2024 / 8305	03 / 2024	निर्माण भुमि सुरक्षा हेतु सुरक्षा दीवार पास पवन कुमार गौशाला वार्ड–3	9900	माप पुस्तिका
12.मनरेगा	निल / 05.03.24 / 8293	03 / 2024	निर्माण भुमि सुरक्षा हेतु सुरक्षा दीवार पास देश राज घर वार्ड–4	3080	माप पुस्तिका
13.मनरेगा	निल / 05.03.24,18.03.24,27.03.24 / 8295,8728,9400	03 / 2024	निर्माण गौशाला अमर सिंह की जमीन वार्ड–3	14608	माप पुस्तिका
14.मनरेगा	निल / 18.03.24 / 8705,8706	03 / 2024	निर्माण ग्रामीण सम्पर्क मार्ग मेन रोड से शान्ति स्वरूप, अजीत सिंह व देश राज के घर की वार्ड–2	14000	माप पुस्तिका
15.मनरेगा	निल / 05.03.24 / 8310–8312,8707–8709,8811,9402,9403,9571	03 / 2024	निर्माण कच्चा रास्ता लिंक रोड से प्रीतम की जमीन की ओर वार्ड–7	108594	माप पुस्तिका
16.मनरेगा	निल / 27.03.2024 / 9404,9647	03 / 2024	निर्माण अमृत सरोवर गांव गिरथोली पास सूदल बाबडी वार्ड–4	14413	माप पुस्तिका
17.मनरेगा	निल / 04.03.2024,01.03.2024 / 102,228	03 / 2024	पौधारोपण बलौदी घर जगरनाथ,ओमप्रकाश, अनमोल रत्न,जगदीश, राम कष्ण व उधो राम की जमीन	71321	माप पुस्तिका
18.मनरेगा	निल / 01.03.2024 / 43593	03 / 2024	निर्माण नागन पुल मेन कुल्ह से सुभाष मनोज	58145	माप पुस्तिका

			जगत राम इत्यादि की जमीन की ओर वार्ड–7		
19.मनरेगा	निल / 01.03.2024 / 43867	03 / 2024	निर्माण कुल्ह निशांकान्त अवस्थी के घर से सीता राम की जमीन की ओर वार्ड–1	34195	माप पुस्तिका
20.मनरेगा	निल / 01.03.2024 / 2547	03 / 2024	औषधीय पौधरोपण अन्जू देवी की जमीन वार्ड–2	2500	माप पुस्तिका
21.मनरेगा	निल / 01.03.2024 / 2548	03 / 2024	औषधीय पौधरोपण बेबी पत्नी गुलशन जमीन वार्ड–2	2500	माप पुस्तिका
22.मनरेगा	निल / 01.03.2024 / 2549	03 / 2024	औषधीय पौधरोपण तृप्ता देवी की जमीन वार्ड–6	2500	माप पुस्तिका
23.मनरेगा	निल / 01.03.2024 / 2550	03 / 2024	औषधीय पौधरोपण मनोरमा देवी की जमीन वार्ड–2	2500	माप पुस्तिका
24.मनरेगा	निल / 01.03.2024 / 2551	03 / 2024	औषधीय पौधरोपण ममता देवी की जमीन वार्ड–2	2500	माप पुस्तिका
25.मनरेगा	निल / 01.03.2024 / 2552	03 / 2024	औषधीय पौधरोपण अनुराधा देवी की जमीन वार्ड–2	2500	माप पुस्तिका
26.मनरेगा	निल / 04.03.2024,01.03. 24 / 104,229	03 / 2024	पौधरोपण कार्य शशि कुमार की जमीन वार्ड–3	9421	माप पुस्तिका
27.मनरेगा	निल / 04.03.2024,01.03. 24 / 103,230	03 / 2024	पौधरोपण कार्य बलदेव की जमीन वार्ड–6	17876	माप पुस्तिका

28.मनरेगा	निल / 01.03.24 / 43872	03 / 2024	निर्माण ग्रामीण सम्पर्क पक्का मार्ग सुरेश कुमार की जमीन से पलासू पुली की ओर वार्ड–5	76435	माप पुस्तिका
29.मनरेगा	निल / 01.03.24 / 375046	03 / 2024	निर्माण ग्रामीण सम्पर्क मार्ग अशोक कुमार के घर से संजय कुमार के घर की ओर वार्ड–7	16092	माप पुस्तिका
30.मनरेगा	निल / 01.03.24 / 375047	03 / 2024	निर्माण ग्रामीण सम्पर्क मार्ग लिंक रोड से मदन व सुभाष चन्द घर की ओर वार्ड–4	24131	माप पुस्तिका
31.मनरेगा	निल / 01.03.24 / 375041	03 / 2024	निर्माण ग्रामीण सम्पर्क पक्का मार्ग लिंकदरोड से थपला की ओर वार्ड–6	53988	माप पुस्तिका
32.मनरेगा	निल / 01.03.2024 / 2554	03 / 2024	घिरथोली पास सूदड बाबडी	2500	माप पुस्तिका
33.मनरेगा	निल / 01.03.2024 / 2553	03 / 2024	कम्पलीशन अमृतसरोवर वार्ड–2	2500	माप पुस्तिका
			कुल योग	**914615**	

उक्त निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे सचिव ग्राम पंचायत पद्दर से अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2024 / 484 दिनांकः–10 / 10 / 2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–24 दिनांकः–21 / 10 / 2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि आगामी अंकेक्षण में माप पुस्तिकाओं को प्रस्तुत कर दिया जायेगा, प्रस्तुत प्रत्युत्तर नियमानुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः संबंधित माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत न कर पाने का नियमानुसार तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व

भत्ते) नियम 2002 के नियम 101(2)(iii) की अनुपालना सुनिश्चित करते हुये अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

11. संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹18.39/– लाख का अनियमित भुगतान करना:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 03/2024 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹18,39,136/– का भुगतान किया गया था जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/493 दिनांक:–21.10.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत पद्दर के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:– 24 दिनांक:–21.10.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि वतर्मान समय से उक्त इन नियमों की अनुपालना की जा रही है।

अत: नियमों के विरूद्ध किये गये भुगतानों को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियां:–

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों के नमूना अंकेक्षण तथा पैरा संख्या "10" के अंतर्गत दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:–

1.नियम 104(2)(1) तथा 105 की अनुपालना में निर्माण कार्यों की नमूना जाँच; मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा नहीं की गई थी।

2.किसी भी योजना में निर्माण सामग्री आपूर्ती के बिलों को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसके कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

3.ग्राम पंचायत द्वारा करवाये विभिन्न निर्माण कार्यों के प्रारूप–34, जिसमें कि कार्य का पूर्ण आय–व्यय ब्यौरा शामिल होता है, उन्हें भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कि किसी व्यक्तिगत कार्य में प्रयुक्त सामग्री व लेबर पर किये गए कुल व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

इन अनियमितताओं बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/493 दिनांकः– 21.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत पद्दर को अवगत करवाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–24 दिनांकः–21.10.2024 द्वारा सूचित किया गया कि वतर्मान समय से उक्त अनियमिमताओं से संबंधित नियमों की अनुपालना की जा रही है।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे पूर्ण तथ्यों सहित उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

13 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करनाः–

हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि•प्र• पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/469 दिनांकः 08.10.2024 के क्रमांक 9 में मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–24 दिनांकः–21.10.2024 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी, फलस्वरूप लेखांकन प्रकिया में पूर्णता एवं पारदर्शिता के अभाव में किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के दुरूपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट	8	29(4)
3.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
4.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	––	7(3) एवं 10(1) तथा "प्रारूप–5" के आरम्भ में दी गई टिप्पणी
5.	वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज किया गया है।	11	37
6.	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)

7.	निर्माण कार्य रजिस्टर	....	103
8.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए बी
9.	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
10.	पंचायत प्रतिनिधियों एवं सहायक कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय/वेतन का रजिस्टर	....	....

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इन अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

14. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। अतः समय—समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यह एक गंभीर अनियमितता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/469 दिनांकः—08.10.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—24 दिनांकः—21.10.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारंण तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

अन्य विविध अंकेक्षण आपत्तियांः—

15.1 रसीद बुकों का स्टॉक नियमानुसार न रखा जानाः—

रसीद बुकों के स्टॉक के अंकेक्षण में पाया गया कि इसे हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (5) के प्रावधानों के अनुसार नहीं रखा जा रहा है। इस नियम के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी से प्राप्त खाली रसीद बुकों का

अभिलेखन सामान्य स्टॉक रजिस्टर से अलग हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 में प्रावधित फॉर्म–2 में रसीदो के स्टॉक रजिस्टर में रखा जायेगा।

इसके अतिरिक्त हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 13 (5) के अनुसार पंचायत सचिव का यह वैधानिक दायित्व है कि वह जिला पंचायत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत/खाली रसीदों को प्राप्त करते समय तथा उपयोग हेतु जारी करने का अभिलेख प्रारूप–4 के अनुसार बनाए गये स्टॉक रजिस्टर में रखे। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान इस प्रकार का कोई अभिलेख तैयार नहीं किया गया था, जिस कारण से अंकेक्षण अवधि के दौरान खरीदी गई तथा प्रयोग की गई रसीदों का न तो संकलित विवरण तैयार किया जा सका तथा न ही पूर्ण अंकेक्षण संभव हो पाया। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि के दौरान लेखांकित की गई आय भी रसीदों के अभिलेख के अभाव में संदिग्ध हो जाती है।

अतः इस अनियमितता के बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त इस अवधि के दौरान खरीदी गई रसीदों का अभिलेख पंचायत अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके इनके प्रयोग का विवरण तैयार करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

15.2 वाउचर नम्बरों का न लगाया जानाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(1) के अनुसार वाउचरों पर वाउचर क्रमांक लगाया जाना अपेक्षित है।

वाउचर नस्तियों के अंकेक्षण में पाया गया कि अवधि 2023–24 में मनरेगा के व्यय वाउचरों पर वाउचर क्रमांक नहीं लगाए गए थे, जोकि उक्त प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है तथा उचित वाउचर क्रमांक के अभाव में अंकेक्षण में भी दिक्कतें आई हैं। अतः इस अनियमितता तथा नियमों की अवहेलना के बारे में तथ्यपूर्ण तरीके से वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अँकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15.3 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें संपरीक्षा संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1) के अनरूप लेखों का रख रखाव ग्राम पंचायत पद्दर द्वारा नहीं किया गया था। जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। ग्राम पंचायत पद्दर के चयनित मास के व्यय वाउचरों की नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि मनरेगा व्यय वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थे।

अतः भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

16 **लघु आपति विवरणिकाः**— लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

17 **निष्कर्षः**— लेखों के रख रखाव में हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों व अन्य दिशा—निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है जिस कारण से लेखाओं के रखरखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

02 JAN 2025

ह०/प्र०

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009

60-64
पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)201/2018—खण्ड—1 दिनॉंक, शिमला—09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्यवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी कॉंगड़ा, जिला कॉंगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कॉंगड़ा (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत पद्दर, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कॉंगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्यवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

02 JAN 2025

ह०/प्र०

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009

ANNEXURE -1 (पैरा संख्या - 4.1(क))

FINANCIAL POSITION OF GP PADDAR FOR THE YEAR 2023-24

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2023-24	901338.82	1307945.00	2209283.82	462591.00	1746692.82

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2023-24	3394902.70	5120287.00	8515189.70	5091510.00	3423679.70

Checked

ANNEXURE -2 (पैरासंख्या "5.1")

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP PADDAR FOR THE YEAR 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	MMAGY	2023-24	6464.70	141.00	6605.70	59.00	6546.70
2	13TH FC	2023-24	176156.00	4102.00	180258.00	0.00	180258.00
3	14TH FC	2023-24	660310.00	22524.00	682834.00	709879.00	-27045.00
4	15TH FC/ZP/PS	2023-24	2551972.00	857471.00	3409443.00	145523.00	3263920.00
5	MGNREGA	2023-24	0.00	4236049.00	4236049.00	4236049.00	0.00
TOTAL			3394902.70	5120287.00	8515189.70	5091510.00	3423679.70

परिशिष्ट–3 (पैरा संख्या 4.1(क))

कार्यालय ग्राम पंचायत पद्दर विकास खण्ड धर्मशाला ,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176052

बैंक प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत पद्दर के दिनांक 01.04.2022 व 31.03.2024 को बैंक शेष –

क	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	बैंक शेष 01.04.23को	बैंक शेष 31.03.24 को
1	स्वःस्त्रोत / 5वां वित / एस.डी.आर.एफ	का•के•सह•बैंक चामुण्डा	20012007980	911097.17	1755443.17
2	एम.एम.ए.जी.वाई	सी•बी•आई•चामुण्डा	3662089134	6464.70	6546.70
3	13वाँवित्त	एच•डी•एफ•सी•बैंक नगरोटा बगवां	50100028213337	180113	184215
4	14वाँवित्त	का•के•सह•बैंक चामुण्डा	50068305616	650483	0
5	14वाँवित्त	आई•डी.•बी.आई.बैंक धर्मशाला	111061040000045368	36872	0
6	15वाँवित्त / पी.एस / जेड.पी	सी•बी•आई•चामुण्डा	3849752885	2601972	3313920
	हस्तगत शेष(हस्तगत रोकड.बही के अनुसार)			0	504
			कुल योग	**4387001.87**	**5260628.87**

29

परिशिष्ट–4(पैरा संख्या –"6.1")

कार्यालय ग्राम पंचायत पद्दर विकास खण्ड धर्मशाला ,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176052

दिनांक 31–03–2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पति कर/गृहकरः–

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 2023–24 में 711 परिवारों का रु 50/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से:–

वितीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि ₹
2023–24	86850	711	50	35550	122400	0	122400
	नोटः– दिनाँक 31.03.2024 को बकाया सम्पति कर/गृहकर की राशि **₹122400**/– है।						

30

परिशिष्ट–5 (पैरा संख्या "6.2")

कार्यालय ग्राम पंचायत पद्दर विकास खण्ड धर्मशाला ,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176052

दिनांक 31–03–2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष दुकान किरायाः–

पंचायत क्षेत्र में संचालित दुकानो की कुल संख्याः– 2023–24 में 16 का रु 150/200/487/536/584/642/– प्रति दुकानदार से प्रतिमाह की दर से:–

वितीय वर्ष	अथशेष	दुकानो की संख्या	दुकान किराया प्रतिमाह	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि ₹
2023–24	86900	16	150/200/487/536/584/642	77622	164522	27392	137130

31)

परिशिष्ट - 8 (पैरा संख्या - 6.3")

कार्यालय ग्राम पंचायत पद्दर , विकास खण्ड धर्मशाला , ज़िला काँगड़ा हि०प्र०,पिन - 176052

पंचायत द्वारा आवंटित की गई दुकानों की सूचना जिनका अनुबंध नहीं किया गया

क्र० सं	दुकान नं	दुकानदार का नाम	दुकानों के संचालन की अवधि	अनुबंध हां/नहीं
01	01	ओम प्रकाश पुत्र श्री पुनी लाल	1994-1995 से आज तक	अनुबंध नहीं किया गया।
02	02	राम कृष्ण पुत्र श्री दुनी चंद	1994-1995 से आज तक	अनुबंध नहीं किया गया।
03	03	शशिकांत पुत्र श्री अमर दास	1994-1995 से आज तक	अनुबंध नहीं किया गया।
04	04	सुभाष पुत्र श्री होशियार सिंह	1994-1995 से आज तक	अनुबंध नहीं किया गया।
05	05	परस राम	1994-1995 से आज तक	अनुबंध नहीं किया गया।
06	06	किशोरी लाल पुत्र श्री चिपलू राम	1994-1995 से आज तक	अनुबंध नहीं किया गया।
07	07	जोगिन्द्र पुत्र श्री चुन्नी लाल	1994-1995 से आज तक	अनुबंध नहीं किया गया।
08	08	अनिल कुमार पुत्र श्री घंटू राम	1994-1995 से आज तक	अनुबंध नहीं किया गया।

प्रधान

सचिव

ग्राम पंचायत पद्दर
वि०ख० धर्मशाला, कांगड़ा (हि०प्र०)

82

परिशिष्ट " 7 " (पैरा संख्या " 7.1, 7.2 " में संदर्भित)

ग्राम पंचायत पद्दर, विकास खण्ड धर्मशाला, विवाह पंजीकरण शुल्क दिनांक 31-03-2024 तक को वसूली हेतु शेष व प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने से राजस्व हानि

क्र० सं०	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	नहीं वसूली गई राशि
1	विश्व कुमार स्पुत्र विनोद कुमार	11-05-23	20-06-23	₹ 400	₹ 0	₹ 400
2	अक्षय कुमार स्पुत्र मनोहर सिंह	20-06-23	20-06-23	₹ 200	₹ 200	₹ 0
3	मदन लाल स्पुत्र ब्रह्म दास	09-05-23	Nil	₹ 400	₹ 0	₹ 400
4	परमिन्द्र कुमार स्पुत्र स्वरूप चंद	06-07-23	05-08-23	₹ 200	₹ 0	₹ 200
5	विशाल कुमार स्पुत्र माता शरण	26-06-23	28-08-23	₹ 400	₹ 0	₹ 400
6	अतुल कुमार स्पुत्र प्रकाश चंद	13-07-23	Nil	₹ 400	₹ 0	₹ 400
7	पंकज कुमार स्पुत्र बलवीर कुमार	20-10-23	10-11-23	₹ 200	₹ 200	₹ 0
8	रजत कुमार स्पुत्र जोगिन्द्र सिंह	14-11-23	23-11-23	₹ 200	₹ 200	₹ 0
9	मुनीश कुमार स्पुत्र कुशल कुमार	28-11-23	12-12-23	₹ 200	₹ 200	₹ 0
10	तरुण स्पुत्र इन्द्रजीत	22-11-23	12-12-23	₹ 200	₹ 200	₹ 0
11	विनय कुमार स्पुत्र सुरेश कुमार	26-10-23	08-01-24	₹ 400	₹ 400	₹ 0
12	अखिल दिक्सित स्पुत्र सुरिन्द्र कुमार	14-11-23	23-01-23	₹ 400	₹ 400	₹ 0
13	प्रीतम चंद स्पुत्र पठाणु राम	29-01-24	20-02-24	₹ 200	₹ 200	₹ 0
14	रजनीश कुमार स्पुत्र बलवंत सिंह	24-01-24	22-02-24	₹ 200	₹ 200	₹ 0
15	विशाल स्पुत्र प्रकाश चंद	04-02-24	22-02-24	₹ 200	₹ 200	₹ 0
16	विक्रम जीत सिंह स्पुत्र बिन्द्रर सिंह	27-02-24	27-02-24	₹ 200	₹ 200	₹ 0
17	अजय कुमार स्पुत्र राज कुमार	14-02-24	29-02-24	₹ 200	₹ 200	₹ 0
18	हरशंत स्पुत्र पूर्ण चंद	22-10-23	07-03-24	₹ 400	₹ 400	₹ 0
19	जीवन कुमार स्पुत्र महाबीर सिंह	03-03-24	19-03-24	₹ 200	₹ 200	₹ 0
20	राहुल पटियाल स्पुत्र रवि कुमार	02-03-24	26-03-24	₹ 200	₹ 200	₹ 0
	कुल योग			**₹ 5,400**	**₹ 3,600**	**₹ 1,800**

33

परिशिष्ट –8 (पैरा संख्या – "8.1" व "8.2")

ग्राम पंचायत पददर विकास खण्ड धर्मशाला जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, स्टॉक/स्टोर की क्रय की गई सामग्री की प्रविष्टियां भंडार पुस्तिकाओं में न करना व औपचारिकताओं को पूर्ण किये विना स्टॉक/स्टोर क्रय करना।

अनुदान	वो.स. /दिनांक	समाग्री का विवरण	विल.स. /दिनांक	आपूर्तिकर्ता	मात्रा	रेट	राशि ₹	टिप्पणी
1.15TH FC	06/21.03.2024	1000 Liters water tank with stand Providing and Fixing (Including	480/Nil	M/s Sunshine Concrete works Kachhiari Kangra	1	20000	20000	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
2.15TH FC	07/21.03.2024	1000 Liters water tank with stand Providing and Fixing (Including	481/Nil	M/s Sunshine Concrete works Kachhiari Kangra	1	20000	20000	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
3.NREGA	Nil/04.03.2024	Interlocking Chain/Create Wire(Including GST)	155/28.12.2023	HP Agro Dharamshala	—	—	27907	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
4.NREGA	Nil/04.03.2024	Readymade Sign Board	2544/01.02.2024	M/s Ravi Art Tangroti Khas Yol	1	2500	2500	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
5.NREGA	Nil/01.03.2024	Readymade Sign Board	2545/01.02.2024	M/s Ravi Art Tangroti Khas Yol	1	2500	2500	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
6.NREGA	Nil/01.03.2024	Readymade Sign Board	2546,2547,2548,2549,2550,2551,2552/01.02.2024	M/s Ravi Art Tangroti Khas Yol	7	2500	17500	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
7.NREGA	Nil/04.03.2024	Different Variety Plants	102/13.12.2023	M/s Tulsi Ram Industry &Flower Nursery Ansoli Matour	–	–	36216	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
8.NREGA	Nil/04.03.2024	Different Variety Plants	104/3.12.2023	M/s Tulsi Ram Industry &Flower Nursery Ansoli Matour	–	–	5910	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
9.NREGA	Nil/04.03.2024	Different Variety Plants	103/13.12.2023	M/s Tulsi Ram Industry &Flower Nursery Ansoli Matour	–	–	9852	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
10.NREGA	Nil/01.03.2024	Readymade Sign Board	2554,2553/01.02.2024	M/s Ravi Art Tangroti Khas Yol	2	2500	5000	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
						कुल योग	147385	

नोट :-1. क्रम संख्या 4, 5, 6 व 10 की औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया गया।

2. क्रम संख्या 1 से 3, 7 से 9 तक की स्टॉक प्रविष्टी नहीं की गई।

39